

प्रेषक,

मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सचिव (प्रभारी) उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून: दिनांक 30 जुलाई, 2020

विषय: कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबन्दी की क्रमवार समाप्ति हेतु जारी आदेश संख्या- 385/USDMA/792(2020), दिनांक 2 जुलाई, 2020 के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक अवगत करवाना है कि तालाबन्दी (Lockdown) की क्रमवार समाप्ति (Unlock-1) हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या- 447/USDMA/792/(2020), दिनांक 17 जुलाई, 2020 में बिन्दु संख्या 3.1 में निम्नवत् प्रावधान को समावेशित करते हुये निर्देश पारित किया जाता है-


Para 3.1.

Such persons can be randomly tested for Covid-19 at the border check posts. If found positive, it shall be the responsibility of the concerned District Administration, in coordination with the Health authorities, to follow protocols as laid down by MoHFW and State Government. In case found negative, the person (*Excluding the persons exempted from quarantine as per Order No. 385/USDMA/792(2020), dated 2nd July, 2020 and 447/USDMA/792(2020), dated 17th July, 2020*) shall home quarantine herself/ himself for one week and monitor her/ his health closely. The district authorities shall also monitor such persons for her/ his health indicators.

अतः सभी सम्बन्धित उपरोक्त समस्त निर्देशों के साथ-साथ गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-30/2020-DM-I (A), दिनांक 29 जून, 2020 तथा राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या- 385/USDMA/792(2020), दिनांक 2 जुलाई, 2020 एवं शासनादेश संख्या: 447/USDMA/792(2020), दिनांक 17 जुलाई, 2020 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।

भवदीय,


(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या: 483 /USDMA/792(2020) एवं तददिनांकित।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
7. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित पत्रावली।

(उत्पल कुमार सिंह)

मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी